Request-78

Registered Post

From,

Maharani Din,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The District Judge,
Gonda.

31
No. 7662/IV-3585/Admin.(A) Dated: May. 29, 2013.

Subject: Counting of previous service of Sri Krishna Chandra Singh, Judicial Magistrate, Gonda with his present service in U.P. Judicial Services.

Sir,

With reference to aforesaid subject, I am sending herewith copy of Government Memorandum No. 2229/II-04-2012-23(10)/2012 dated 08.05.2013 along with both the service-books (of previous service & present service) and request you to kindly communicate contents of aforesaid Government Memorandum to Sri Krishna Chandra Singh as well as keep both his service-books with his service-records at your office.

Enclosures:

(1) Copy of Government Memorandum No. 2229/II-04-2012-23(10)/2012 dated 08.05.2013.
(2) Original service-book (in two volume) of Sri Krishna Chandra Singh, Judicial Magistrate, Gonda.

Yours faithfully,
Maharani Din
22.5.13
Deputy Registrar

32
No. 7663/IV-3585/Admin.(A) Dated: May. 29, 2013.

Copy forwarded for information and necessary action to following:

(1) The Under Secretary, Appointment Section-4, Government of U.P, Lucknow with reference to Government Memorandum No. 2229/II-04-2012-23(10)/2012 dated 08.05.2013.
(2) Sri Krishna Chandra Singh, Judicial Magistrate, Gonda.

Maharani Din
22.5.13
Deputy Registrar

DR(M)
May kindly see below placed Govt. Memo dt. 8.5.13 and issue?
[signature] 20.5.13 (AO)
[signature] 21-5-13
AR

उत्तर प्रदेश शासन,
नियुक्ति अनुभाग–4
संख्या–2229/दो–04–2012–23(10)/2012
लखनऊ : दिनॉक: 08 ~~अप्रैल~~ मई, 2013

कार्यालय ज्ञाप

उप निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–17026/चार–3585/एडमिन(ए) दिनांक 05.11.2012 द्वारा श्री कृष्ण चन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट,गोण्डा की राज्य सरकार के अन्तर्गत ही कार्यालय–जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें विभाग, उत्तर प्रदेश में लेखा परीक्षक के पद पर दिनांक 30.11.2004 से 28.04.2009 के अपरान्ह तक की गयी सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु वर्तमान न्यायिक सेवा में जोड़े जाने के सम्बन्ध में प्राप्त आख्या/संस्तुति के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री कृष्ण चन्द्र सिंह,न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा के उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनॉक 29.04.2009 को पूर्वान्ह में योगदान करने से पूर्व राज्य सरकार के अन्तर्गत ही कार्यालय–जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें विभाग, उत्तर प्रदेश में लेखा परीक्षक के पद पर दिनांक 30.11.2004 से 28.04.2009 के अपरान्ह तक की गयी सेवाओं को मात्र सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद–370 के अधीन आगणित किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि श्री कृष्ण चन्द्र सिंह, की सेवानिवृत्ति के समय यदि कोई भिन्न नियम प्रभावी होते है तो यथासमय उन्ही नियमों के अनुरूप अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के अशासकीय संख्या–3–268/दस–2013 दिनॉक 04 अप्रैल, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या–2229(1)–दो–04–2012–तददिनॉक

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को श्री कृष्ण चन्द्र सिंह,न्यायिक मजिस्ट्रेट,गोण्डा की पूर्व/वर्तमान न्यायिक सेवापुस्तिका दो अदद संलग्न कर कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– जनपद न्यायाधीश, गोण्डा ।
4– पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन 8वॉ तल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
6– श्री कृष्ण चन्द्र सिंह,न्यायिक मजिस्ट्रेट,गोण्डा ।
7– वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
8– गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,
(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव

Request-78

Registered Post

From,

Maharani Din,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The Under Secretary,
Appointment Section-4,
Govt. of U.P,
Lucknow.

25
No. 17026/IV-3585/Admin.(A) Dated: ~~Oct.~~ 5-11-2012.

Subject: Counting of previous service of Sri Krishna Chandra Singh, the then Addl. Civil Judge(JD), Varanasi now posted as Judicial Magistrate, Gonda with his present service in U.P Nyayik Sewa.

Sir,

With reference to Govt. letter No. 795/II-4-12-23(10)/2012 dated 19.06.2012, on the above subject, I am sending herewith both the service-books(of previous service and present service), of Sri Krishna Chandra Singh, Judicial Magistrate, Gonda with all his service related entries duly attested and verified and request you to kindly obtain orders of Govt. in this matter, at an early date, under intimation to this Court.

Enclosure:
Service-book(in two volume) of Sri Krishna Chandra Singh, Judicial Magistrate, Gonda.

Yours faithfully,
Maharani Din
1.11.12
Deputy Registrar

26
No. 17027/IV-3585/Admin.(A) Dated: ~~Oct.~~ 05-11-2012.

Copy forwarded for information and necessary action to:
(1) The District Judge, Gonda with reference to letter No. 2285 dated 9.10.12.
(2) Sri Krishna Chandra Singh, Judicial Magistrate, Gonda.

Maharani Din
1.11.12
Deputy Registrar

DR(M)
May kindly see below placed letter of DJ, Gonda and issue to
Prashant Dixit
31.10.12 (ARO)

[signature]
01/11/12

From,
Umesh Sing, HJS,
District Judge,
Gonda.

To,
Maharani Din,
Deputy Registrar(M)
Hon'ble High Court of Judicature,
At Allahabad.

No. 2285 Dated. 09-10-2012

Sub:- Counting of previous service of Sri. Srikrishna Chandra Singh, Judicial Magistrate first, Gonda with his present service in U.P. Nyayik Sewa.

Sir,

With reference to Hon'ble High Court letter No. 11743/IV-3585/Admin. (A) dated 06-08-2012 with regard to the above noted subject, I have honour to enclose here with the service book relating to the department of co-operative societies and Pnachayten, Gorakhpur and an other service book relating to the service of the U.P. Nyayik Sewa.

It is therefor requested that receipt of above noted two service book may kindly be acknowledge.

With regard.

Your faithfully

(Umesh Singh)
District Judge,
Gonda.
08-10-2012

Encloser- As above

Request - 78

Registered Post

From,

Maharani Din,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The District Judge,
Gonda.

92

No. 11743/IV-3585/Admin.(A) Dated: ~~July~~ 06-8-,2012.

Subject: Counting of previous service of Sri Krishna Chandra Singh, the then Addl. Civil Judge(JD), Varanasi now posted as Judicial Magistrate, Gonda with his present service in U.P Nyayik Sewa.

Sir,

I am sending herewith a copy of Govt. letter No. 795/II-4-12-23(10)/2012 dated 19.06.2012, on the above subject, and request you to kindly send, in accordance with aforementioned Govt. letter, both the service books(of previous service and present service), of Sri Krishna Chandra Singh, Judicial Magistrate, Gonda with all his service related entries duly attested and verified, to this Court, at the earliest possible, so that the same may be sent to the Under Secretary, Appointment Section-4, Govt. of U.P, Lucknow, for further necessary action in this matter.

Enclosure:

Copy of Govt. letter No. 795/II-4-12 -23(10)/2012 dated 19.06.2012.

Yours faithfully,

Maharani Din
28.7.12

Deputy Registrar

93

No. 11744/IV-3585/Admin.(A) Dated: ~~July~~ 06-8-2012.

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. The District Judge, Varanasi along with a copy of Govt. letter No. 795/II-4-12-23(10)/2012 dated 19.06.2012.
2. Sri Krishna Chandra Singh, Judicial Magistrate, Gonda.

Maharani Din
28.7.12

Deputy Registrar

DR(M)

May kindly see below placed Govt. letter dt. 19.6.12 and issue.

Pramti Dixit
26.7.12 (ARO)

[signature]
27/7/12

[signature]
27-7-12
AR

Request-78

Sonttal
18-7-12
C.O. Encl

Reg No 274
File No IV/3585
Serial No 21

संख्या–795/दो–4–12–23(10)/2012

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 19 जून, 2012

विषयः–श्री श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह, सिविल जज (जू.डि.) वाराणसी द्वारा पूर्व में लेखा परीक्षा, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें विभाग में लेखा परीक्षक के पद पर दिनॉक 30.11.2004 से 28–4–2009 तक की गयी सेवा को न्यायिक सेवा के साथ गणना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रॉक संख्या–6623/चार/3585/एडमिन(ए) दिनॉक 25.4.2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा श्री श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह, सिविल जज (जू.ड़ि.) वाराणसी द्वारा पूर्व में लेखा परीक्षा के पद पर दिनॉक 30.11.2004 से 28.4.2009 तक की गयी सेवा को न्यायिक सेवा के साथ गणना किये जाने हेतु अनुरोध पत्र संलग्नकों सहित शासन को प्रेषित किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह, सिविल जज (जू.डि.) वाराणसी द्वारा पूर्व में लेखा परीक्षक के पद पर दिनॉक 30.11.2004 से 28.4.2009 तक की गयी सेवा को न्यायिक सेवा के साथ गणना किये जाने हेतु पूर्व सेवा एवं वर्तमान न्यायिक सेवा की सेवापुस्तिकाएँ मूलरूप में समस्त प्रविष्टियों सहित शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय)
अनु सचिव।

S.O. Admn H/A
D.R.(M) 16-7-12

संख्या–795(1)/दो–4–12–23(9)/2012–तददिनॉक

उपरोक्त पत्र की प्रति श्री श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह, सिविल जज (जू.डि.) वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय)
अनु सचिव।

JUL 201

Request - 78

Registered Post

From,

Maharani Din,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The Joint Secretary,
Appointment Section-4,
Government of U.P.,
Lucknow.

19

No. 6623 /IV-3585/Admin.(A) Dated: April 25, 2012.

Subject: Counting of previous service of Sri Krishna Chandra Singh, Addl. Civil Judge(JD), Varanasi with his present service in U.P Nyayik Sewa.

Sir,

I am directed to send herewith a copy of application dated 23.02.2012 of Sri Krishna Chandra Singh, Addl. Civil Judge(JD), Varanasi along with its enclosures, on the above subject, and request you to kindly ~~take necessary action~~ in the matter, at an early date, under intimation to this court. to obtain orders of Govt

Enclosure:

Copy of application dt. 23.02.2012 of Sri Krishna Chandra Singh, along with its enclosures.

Yours faithfully,
Maharani Din
20.4.12
Deputy Registrar

20

No. 6624 /IV-3585/Admin.(A) Dated: April 25, 2012.

Copy forwarded for information and necessary action to:

(1) The District Judge, Varanasi with reference to his endorsement No. 253/I dated 23.02.12.

(2) Sri Krishna Chandra Singh, Addl. Civil Judge(JD), Varanasi.

Maharani Din
20.4.12
Deputy Registrar

DR(M)
May kindly see order dt. 12.4.12 (placed below) and issue?
[signature] 18.4.12 (ARO)

[signature] 18/4/12.

[signature] 18-4-12 AR

प्रेषक :

श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह,
अपर सिविल जज,
जूनियर–डिवीज़न
न्यायालय संख्या–8,
वाराणसी।

सेवा में,

सचिव,
नियुक्ति अनुभाग–4,
उत्तर–प्रदेश शासन,
लखनऊ।

द्वारा,

महा–निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
वाराणसी।

विषय : उत्तर–प्रदेश शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–सा–3–1671/दस–2010–301 (09)/2003 टी0सी0के तहत लाभ प्रदत्त करते हुये पूर्व सेवा को वर्तमान सेवा में समायोजित किये जाने एवं वर्तमान सेवा में पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन का लाभ प्रदत्त किये जाने के सन्दर्भ में।

आदरणीय महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे ससम्मान् निवेदन करना है कि, मेरी नियुक्ति दिनांक 29.04.2009 को उत्तर–प्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल जज जूनियर–डिवीज़न के पद पर की गयी है और मैं वर्तमान में जनपद–वाराणसी में उक्त पद पर कार्यरत हूँ। (*संलग्नक*–1)

इसके पूर्व मेरी नियुक्ति दिनांक 30.11.2004 को उत्तर–प्रदेश शासन के अधीन लेखा परीक्षा, सहकारी समितियां एवं पंचायतें विभाग में लेखा परीक्षक के पद पर की गयी थी। (*संलग्नक*–2 व 3)

मेरे द्वारा उक्त लेखा विभाग से उत्तर–प्रदेश न्यायिक सेवा की परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति ली गयी थी। उक्त अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त मैं वर्ष 2006 में उत्तर–प्रदेश न्यायिक सेवा की परीक्षा में सम्मिलित हुआ और सफल रहा।न्यायिक परीक्षा में सफलता के उपरान्त मुझे लेखा विभाग से न्याय विभाग में कार्य–भार ग्रहण किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी। मैंने दिनांक 29.04.2009 को उत्तर–प्रदेश न्यायिक सेवा में अपना पदभार ग्रहण किया। मेरे द्वारा लेखा विभाग में पदभार दिनांक 28.04.2009 को ही अपरान्ह में छोड़ा गया। इस प्रकार मेरी पूर्व सेवा और वर्तमान सेवा में कोई व्यवधान नहीं आया। (*संलग्नक*–4)

.......................जारी

Request-78

उपरोक्त विषयक शासनादेश के प्रस्तर–3 में यह कहा गया है कि,"

.... शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि, ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने राज्य सरकार की अथवा ऐसे समस्त शासन के नियन्त्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, की पेंशनयुक्त सेवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व योगदान किया था तथा दिनांक 01 अप्रैल 2005 को अथवा उसके पश्चात राज्य सरकार की अथवा शासन के नियन्त्रणाधीन उक्त उल्लिखित स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की पेंशन युक्त सेवा में अपनी पूर्व सेवा से कार्य मुक्त होकर अथवा तकनीकी त्यागपत्र देकर नियुक्त होते हैं, तो वे उसी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे जिस पेंशन योजना से वे दिनांक 01 अप्रैल 2005 के पूर्व आच्छादित थे।"

इस प्रकार उक्त शासनादेश के तहत मैं अपनी पूर्व सेवा को वर्तमान सेवा में समायोजित कराये जाने तथा वर्तमान सेवा में पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने का इच्छुक हूं।

अतः श्रीमान्‌जी से प्रार्थना है कि, उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त विषयक शासनादेश के अन्तर्गत लाभ प्रदत्त करते हुये मेरी पूर्व सेवा को वर्तमान सेवा में समायोजित किये जाने की कृपा करें ताकि मुझे वर्तमान सेवा में पेंशन का लाभ प्राप्त हो सके।

सा द र ।

दिनांक : 18.02.2012

भवदीय :

SKCSingh 18/02/2012

श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह,
अपर सिविल जज,
जूनियर–डिवीज़न
न्यायालय संख्या–8,
वाराणसी।

संलग्नक :

1––नयी सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र ।
2––पूर्व सेवा में नियुक्ति हेतु जारी शासनादेश सह नियुक्ति–पत्र ।
3––पूर्व सेवा में कार्य–भार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र।
4––पूर्व सेवा से कार्यमुक्त किये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र ।
5––पूर्व सेवा की सेवा पुस्तिका की छाया प्रति।
6––पूर्व सेवा की सामान्य भविष्य–निधि खाते की पास–बुक की प्रमाणित प्रति।
7––उपरोक्त विषयक शासनादेश की छाया प्रति।

Office of the District Judge Varanasi
No. 253 – / I Date 23.02.2012
Forwarded.

(signature)
District Judge
Varanasi

Request-78

संलग्नक - 1

CHARGE CERTIFICATE

TAKING OVER

Certified that the charge of the Court of Civil Judge (J.D.) Court No. 3, Varanasi has been taken over under the order of the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad vide its notification no. 253/AR(S)/2009 dated 17.04.2009 as herein denoted in the fore- noon /~~after-noon~~ 29.04.2009.

29.4.09

(Shrikrishna Chandra Singh)
Relieving Officer

Countersigned

(District Judge)
Varanasi

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, VARANASI

No. 481 /I Dated: 30.4.09

Copy forwarded for information and necessary action to:

L.No. 481/I Dt. 30.4.09 1. Registrar General, Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.
" 481/I " 2. Joint Registrar Confidential Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.
" 481/I " 3. Joint Registrar (Computer) Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.
" 481/I " 4. Deputy Registrar(Services), Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.
" 481/I " 5. Secretary, Niyukti Anubhag-4, U.P. Government, Lucknow
" 481/I " 6. Mahalekhakar (Lekha Evam) Haqdari A.G.U.P.(II) Allahabad
" 481/I " 7. Joint Director of Treasuries, 1st Floor, Kutchery Road, Allahabad.
" 481/I " 8. Chief Treasury Officer, Varanasi
" 481/I " 9. Officer concerned.

(S.A.~~O.~~),
Varanasi

Request-78 संलग्नक-2/1

(55)

::आदेश::

शासनादेश संख्या–15/10/2001–का–4–2004 दिनाक 06.05.2004 द्वारा सम्मिलित राज्य/अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2001 के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा जारी तथा उपरोक्त शासनादेश के साथ संलग्न प्राप्त के आधार पर नियुक्तियां प्रदान करने सम्बन्धी शासन के कार्मिक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में उल्लिखित चयनित अभ्यर्थियों को सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा सगठन में लेखा परीक्षक के पद पर वेतनमान 4000–100–6000 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित जनपदों में तैनात किया जाता है। कार्यभार ग्रहण करने हेतु इन्हे कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य न होगा।

यह नियुक्ति अस्थायी है। इनकी नियुक्ति शासन के अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या 20:1.74–नियुक्ति– 3 दिनाक 11.06.75 में निर्धारित शर्तों के अधीन होगी तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ (सहकारी एवं पंचायत) लेखा परीक्षा सेवा नियमावली में निहित उपबन्धों के अधीन कार्यभार ग्रहण तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है।

आदेश की तिथि से एक माह के अन्दर सम्बन्धित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें को कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें। निर्धारित अवधि में कार्यभार न ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करते समय इन्हें निम्नलिखित घोषणा पत्र एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें। यह भी भलिभांति नोट कर लें कि निम्नलिखित घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र के अभाव में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नही दी जायेगी।

1. अभ्यर्थियों का स्टेटमेन्ट (प्रारूप संलग्न)
2. चल तथा अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा पत्र (प्रारूप संलग्न)।
3. सेवारत ऐसे दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो उनके सम्बन्धी न हो।
4. सत्यनिष्ठा का घोषणा पत्र (प्रारूप संलग्न)।
5. इण्डियन आफिशियल सिक्रेट एक्ट 1923 को ज्ञान में रखने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र (प्रारूप संलग्न)।

क्रमशः

6. जीवित पत्नी के सम्बन्ध मे घोषणा पत्र (प्रारूप संलग्न)।

सम्बन्धित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी उक्त प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन के साथ प्रधान कार्यालय को प्रेषित करेगें।

इनके वेतन आदि का आहरण लेखा शीर्षक 2425– सहकारिता के सुसगत प्राथमिक मदों के अन्तर्गत आहरित किया जावेगा।

(अवधेश चन्द्र दुबे)
मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी

कार्यालयः मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पचायतें उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पंजीकृत

परिपत्रांकः–सी– 158 /अ–2/2004/नियुक्ति/ लखनऊ दिनांकः 20 /11 /2004

1. समस्त सम्बन्धित अभ्यर्थी।
2. समस्त जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितिया एंव पंचायतें, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि आदेश में उल्लिखित शर्तो से सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन स्वीकार करें।
3. समस्त सम्भागीय लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पचायते, उत्तरप्रदेश।
4. प्रधान कार्यालय के समस्त अनुभाग।
5. रिकार्ड कीपर प्रधान कार्यालय को इस आशय से कि समस्त की व्यक्तिगत पत्रावली बनायें।
6. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन(कार्मिक अनुभाग–4) को उनके पत्र सख्या 15/10/2001–क–4–2004 दिनांक 06.05.2004 के सन्दर्भ में।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या 275/2/ई–2/2001–2002 दिनांक 11 मार्च 2004 के सन्दर्भ में।
8. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी

विजय रस्तोगी, कम्प्यूटर कक्ष,मुख्यालय

Request-78

2/2

53	95	सामान्य	रमेश कुमार सिंह पुत्र श्री समर बहादुर सिंह ग्राम व पोस्ट–उमराडीह थाना–जामो जिला–सुल्तानपुर गृह जनपद सुल्तानपुर	लखनऊ
54	98	सामान्य	प्रदीप कुमार सिंह पुत्र श्री सुरेश कुमार सिंह ग्राम व पोस्ट–रामगंज जिला–सुल्तानपुर गृह जनपद सुल्तानपुर	फैजाबाद
55	99	सामान्य	श्रीकृष्णचन्द्र सिंह पुत्र श्री जगदम्बिका प्रसाद सिंह ग्राम व पोस्ट–बड्गो (खलीलाबाद) जिला–सन्तकबीरनगर गृह जनपद सन्तकबीरनगर	गोरखपुर
56	100	सामान्य	देवेन द्विवेदी पुत्र श्री गिरजाशंकर द्विवेदी ग्राम–रायपुर पोस्ट–हकीमपुर थाना– अखण्डनगर जिला–सुल्तानपुर गृह जनपद सुल्तानपुर	प्रतापगढ
57	104	सामान्य	राम प्रताप सिंह राना पुत्र श्री महीपाल सिंह राना 32 हरिभक्त निवास होलीगेट एटा गृह जनपद एटा	इटावा
58	105	सामान्य	सेली निगम पुत्री श्री लालता प्रसाद निगम सिविल लाइन अस्पताल के पास जिला– बांदा गृह जनपद बांदा	महोबा
59	106	सामान्य	प्रमानाथ त्रिपाठी पुत्र श्री त्रिलोकी नाथ त्रिपाठी ग्राम सुरजी विरवा पोस्ट रामपुर सर्धा थाना पूरा कलन्दर जिला–फैजाबाद गृह जनपद फैजाबाद	इटावा
60	107	सामान्य	रेनू पाण्डेय पुत्री श्री हर्षदेव पाण्डेय ग्राम व पोस्ट थाना–कुबेरनाथ जिला कुशीनगर गृह जनपद कुशीनगर	लखनऊ
61	108	सामान्य	आलोक मिश्रा पुत्र श्री राम नरेश मिश्रा ग्राम–गोरयाघाट पोस्ट–भीखमपुर थाना–रामपुर कारखाना जिला देवरिया गृह जनपद देवरिया	गोरखपुर
62	109	सामान्य	अमिताभ प्रकाश पुत्र श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव सी–9/205 हबीबपुर चेतगंज जिला वाराणसी गृह जनपद वाराणसी	भदोही
63	111	सामान्य	शिव शंकर पुत्र श्री भगवान स्वरूप मिश्रा ग्राम–चौधरीयान पोस्ट–छिबरामऊ थाना –छिबरामऊ जिला कन्नौज गृह जनपद कन्नौज	आगरा

Request-78

संलग्नक - 3

सेवा में,

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें,
गोरखपुर ।

महोदय,

मुख्यालय परिपत्र सं०-सी-158/ऑ-2/2004/नियुक्ति/सहस० दिनांक-20.11.2004 के अनुपालन में मैंने आज दिनांक-30.11.2004 के पूर्वान्ह में लेखा परीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

योगदान प्रतिवेदन आपको सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

दिनांक-30.11.2004

भवदीय
SKC Singh 30.11.04
(श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह)
लेखा परीक्षक
गोरखपुर ।

संलग्नक-

1-चल तथा अचल सम्पत्ति के संबंध में घोषणा-पत्र ।
2-सेवारत दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र ।
3-सत्यनिष्ठा का घोषणा-पत्र ।
4-इण्डियन आफीशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के ज्ञान सम्बन्धी घोषणा ।
5-जीवित पत्नी के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र ।

[illegible signature] 30/11/04

Request-78

संलग्नक-4

आदेश

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा उ0प्र0 न्यायिक सेवा मे सिविल जज(जूनियर डिवीजन) के पद पर चयन हो जाने के फलस्वरूप शासन के आदेश सं0 752/दो-4-09-32(1)/2008 लखनऊ दिनांक 24-मार्च-09 के अनुपालन मे मुख्यालय आदेश सं0 290-92 /अ-4 /2009 दिनांक 22-4-2009 के निर्देश मे श्री कृष्ण चन्द्र सिंह, ज्ये0लै0प0ग्रेड-2 गोरखपुर को आज दिनांक-28-4-2009 के अपरान्ह में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पद पर जनपद वाराणसी मे कार्य भार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जाता है। तथा श्री सिंह को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जनपद मे अपना कार्य भार ग्रहण करना सुनिश्चित करे।

(वृजेश कुमार दीक्षित)
जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,

कार्यालय- जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायते, गोरखपुर
पत्रांक: 108-11...... /अधि0अनु0(गो0) दिनांक: 28-4-09...

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- श्री श्री कृष्ण चन्द्र सिंह, ज्ये0लै0प0 गोरखपुर ।
2- जिला जज वाराणसी (उ0 प्र0)
3- संभागीय लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायते, गोरखपुर।
4- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायते उ0प्र0 लखनऊ महोदय के पत्र सं- 290-92 /अ-4 /2009/ दिनांक 22-4-09 के अनुपालन मे सूचनार्थ प्रेषित है।

28/04/09

(वृजेश कुमार दीक्षित)
जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,

28-4-09

Pl
De
Rec
the s
on acc
Cashier

Request - 78

संलग्नक - 5/1

PLEASE NOTE THIS CAREFULLY, ELSE YOUR PENSION WILL BE DELAYED

1. Entries regarding promotion, etc as and when they occur must be made and attested.
2. If a temporary post which you held became permanent subsequently, it must be clearly stated and relevent Government Order pasted (Art. 370 C. S. R.)
3. State the exact nature of your officiating post, i, e, whether they were in clear vacancies (Art 371, C, S. R.)
4. If you were on probation before confirmation let your service book say so (Art, 373, C. S. R)
5. Clearly indicate the nature of your service in the last three year.

See that your service is varifiedand ecorded every year.

Accountant General

कृपया सावधानी से नोट कर लें, नहीं तो आपको पेंशन में देर होगी ।

१— आपके पद इत्यादि में जब उन्नति हो, उसी समय लिखकर उसे प्रमाणित करा देना चाहिए ।

२—जिस अस्थाई पद पर आप काम कर रहे थे, यदि वह आगे चलकर अस्थाई हो आये, तो इसे साफ-साफ लिखा देना चाहिए । साथ ही उससे सम्बन्धित सरकारी अज्ञापन चिपका देनी चाहिए (सिवल सर्विस रेगुलेशन, धारा ३७०) ।

३—अपने स्थानापन्न पदों का आप ठीक-ठीक विवरण दीजिए अर्थात क्या वे पूरी तौर से खाली जगहों पर थे ? (सिविल सर्विस रेगुलेशन, धारा ३७१) ।

४—यदि आप स्थायी होने के पहले परवीक्षाधीन (on probation) थे तो यह आपकी सेवा-पंजिका (सर्विस बुक) से पता लगाना चाहिए (सिविल सर्विस रेगुलेशन, धारा ३७३) ।

५—अन्तिम तीन वर्षों में किस-किस तरह की राज सेवा में आप रहे उसे साफ-साफ लिखा दीजिये ।

६ इसका भी ध्यान रखें कि आपके राज-सेवा की जांच हर साल की जाती है और उसे लिख भी दिया जाता है ।

एकाउन्टन्ट जनरल

Thumb and finger-impression of (non-gazetted officer)
(नान-गजटेड) कर्मचारी के अंगूठे और उंगलियों के चिन्ह

वाम कर Left Hand					दक्षिण कर Right Hand				
कनिष्ठका Little Finger	अनामिका Ring Finger	मध्यमा Middle Finger	तर्जनी Fore Finger	अंगुष्ठ Thumb	अंगुष्ठ Thumb	तर्जनी Fore Finger	मध्यमा Middle Finger	अनामिका Ring Finger	कनिष्ठका Little Finger

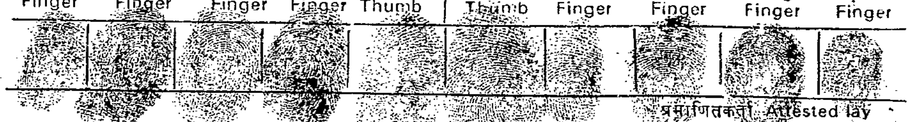

प्रमाणितकर्ता Attested by

पुन : प्रमाणीकरण Re-attestation

(signature) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें गोरखपुर

प्रमाणितकर्ता Attested by

टिप्पणी :- अंगुलियों तथा अंगूठों के चिन्ह प्रत्येक पांच वर्ष के उपरान्त पुन : प्रमाणित किये जाने चाहिए ।
N. P. :- Thumb and Fingers impression should be re-attested after every five year.

F. R. FORM NO. 13

(See Paragraph 35 of Auditor-General's Instructions Issued under Fundamental Rule 74)

1. Name नाम	श्रीकृष्ण-चन्द्र सिंह
2. Race जाति या कोम	क्षत्रिय (हिन्दू)
3. Residence निवास स्थान	ग्राम व पो०- बड़गों खलीलाबाद जिला - संत कबीर नगर उ०प्र० 272175
4. Father's Name and Residence पिता का नाम तथा निवास स्थान	श्री जगदम्बिका प्रसाद सिंह ग्रा० व पो० बड़गों, खलीलाबाद जि० - संत कबीर नगर उ०प्र० 272175
5. Date of Birth by the Christian era as nearly as can be ascertained जन्म दिनांक	20-01-76 (बीस जनवरी सन् उन्नीस सौ छिहत्तर ई०)
6. Exact height by measurement ठीक-ठीक लम्बाई	171.5 सेमी
7. Personal marks for Identification वैयक्तिक अभिज्ञान चिन्ह	दोनों तरफ कन्धे पर (सामने) काले तिल का निशान
8 Signature of Government Servant सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर	(signature)
9. Signature and designation of the Head of the office or other attesting कार्यालयाध्यक्ष या दूसरे अभिप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम	(signature) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें गोरखपुर

(N. B.— The entries in this page should be renewed or reattested at least every five years and the signature on Items 8 and 9 should be dated.)

Request -78

5/2

1 Name of appointment / पद का नाम	2 Whether substantive or officiating and whether permanent or temporary / मौलिक या स्थानापन्न और स्थाई या अस्थाई	3 If officiating here state substantive appointment if any / अगर स्थानापन्न हो तो यहाँ मौलिक पद अगर कोई हो का नाम लिखा जाय	4 Pay in substantive appointment / मौलिक पद का वेतन (Rs. रु० P. पै०)	5 Additional pay for officiating / स्थानापन्न कार्य के लिए अतिरिक्त वेतन (Rs. रु० P. पै०)	6 Other emoluments falling under the term pay / वेतन का मद के अन्तर्गत दूसरी उपलब्धियाँ (Rs. रु० P. पै०)	7 Date of appointment / नियुक्ति का दिनाँक	8 Signature of Government Servant / सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर	9 Signature & designation of the head of the office or other Attesting officer in attestation of columns 1 to 8 / १ से ८ तक स्तंभों को अभिप्रमाणित करने के लिए कार्यालयाध्यक्ष या दूसरे अभिप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम
लेखापरीक्षक (4000-100-6000) 4500-125-7000 में	अस्थायी	—	4000=00 4500--	— —	— —	30/11/04 (पूर्व)	[signature]	जि०ले०प०अ० गोरखपुर [signature]
— do —			4625=00	—	—	1/11/05	[signature]	जि०ले०प०अ० गोरखपुर [signature]
— do —			4750-00	—	—	1/11/06	[signature]	जि०ले०प०अ० गोरखपुर [signature]
स०ले०प० ग्रेड-2 (5500-175-9000)	अस्थायी	ले०प०						

मुख्यालय आदेश सं०सी-108/प०/अ-2/07 लखनऊ दिनांक 31/7/07 द्वारा स०ले०प० ग्रेड-2 पद पर वेतनमान 5500-175-9000 में होने के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण किया 1-8-07 (पूर्वाह्न) को शासन [illegible] 2005 [illegible] मूल नियम 22 बी के अन्तर्गत निम्नानुसार वेतन निर्धारित किया जाता है।
1- ले०प० के पद पर वेतनमान 4500-125-7000 में दि० 31-7-07 को प्राप्त वेतन 4750-
2- लेखा परीक्षक के वेतनमान की एक काल्पनिक वेतन वृद्धि 125=
योग 4875
3- पदोन्नति पद स०ले०प० ग्रेड-2 के वेतनमान 5500-175-9000 में आगामी प्रक्रम, अथवा — 5500-
4- दि० 1-8-07 को स०ले०प० ग्रेड-2 के पद पर निर्धारित वेतन — 5500-
अगली वेतन वृद्धि 1 वर्ष की अर्हकारी सेवा के उपरान्त देय होगी। [signature] 20/8/07

जि०ले०प०अ० गोरखपुर

10 Date of termination of appointment / पद समाप्ति का दिनाँक	11 Reason of termination (such as promotion transfer dismissal etc.) / पद समाप्ति का कारण जैसे पदोन्नति स्थानान्तरण पदच्युति इत्यादि	12 Signature of the Head of the office or other Attesting officer / कार्यालयाध्यक्ष या दूसरे अभिप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम	LEAVE A क Nature & duration of leave taken / छुट्टी की किस्म व अवधि	LEAVE B ख Allocation of periods of leave on fullpay upto four months for which leave salary is debitable to another Government / चार महीने तक की पूर्ण वेतन पर छुट्टी की अवधि का बटवारा जिसके लिये छुट्टी का वेतन किसी दूसरी सरकार की विकलनीय हो: (a) Period (क) अवधि	(b) Govt. to which debitable (ख) सरकार जिसे विकलनीय हो	Signature of Head of the office or other Attesting officer / कार्यालयाध्यक्ष या दूसरे अभिप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर	Reference to any recorded punishment or censure or reward or praise of a Govt. servant / सरकारी कर्मचारी के किसी अभिलिखित दण्ड प्रतिनिन्दन या पारितोषिक या प्रशंसा का निर्देश
31/10/05	वेतन वृद्धि	जि०ले०प०अ० [signature]					
31/10/06	वेतन वृद्धि	जि०ले०प०अ० गोरखपुर [signature]					

मुख्यालय परिपत्रांक सी-158/अ-2/2004/नियुक्ति/लखनऊ दि० 20/11/04 द्वारा लेखा परीक्षक पद पर वेतनमान 4000-100-6000 में नियुक्त। [signature] जि०ले०प०अ० D.A.O. GKP [signature]

शासनादेश सं०-आडिट-2067/दस-2005-322(5)/2004 दि० 29/8/05 के क्रम में मुख्यालय परिपत्र सं०-119/अ-2/2005 दि० 31/8/05 के अन्तर्गत दि० 1-1-96 से लागू सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान-4000-100-6000 को दि० 1-4-01 से संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान-4500-125-7000 प्रदान किया गया। [signature] D.A.O. GKP [signature] 25/9/05

मु० का आदेश सं०-2488-90 दि०-27/7/06 द्वारा दि०-3/7/06 से 15/7/06 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत [signature] D.A.O. [signature] 18/8

Request-78

5/3

1	2	3	4		5		6		7	8	9
Name of appoint-ment	Whether substansive or officiating and whether permanent or temporary	If officiating here state substantive appointment if any	Pay in substantive appointment		Additional pay for officiating		Other emoluments falling under the term pay		Date of appoint-ment	Signature of Govern-ment Servant	Signature & designation of the head of the office or other Attesting officer in attestation of columns 1 to 8
पद का नाम	मौलिक या स्थानापंत्र और स्थाई या अस्थाई	अगर स्थानापंत्र हो तो यहाँ मौलिक पद अगर कोई हो का नाम लिखा जाय	मौलिक पद का वेतन		स्थानापंत्र कार्य के लिए अतिरिक्त वेतन		वेतन का मद के अन्तर्गत दूसरी उपलब्धियाँ		नियुक्ति का दिनाँक	सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर	१ से ८ तक स्तंभों की अभिप्रमाणित करने के लिए कार्यालयाध्यक्ष या दूसरे अभिप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम
			Rs. रु०	P पै०	Rs. रु०	P. पै०	Rs. रु०	P. पै०			
ज्ये०ले०प०श्रे-2 (5500-9000)	अस्थायी	—	5675/-		—		—		1/8/07		[signature] 1/8/07 जि०ले०प०अ० गोरखपुर
			आदेश								
	शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1318/दस-59(एम)/2008 दिनांक 08 दिसम्बर 2008 की व्यवस्था के अनुसार विकल्प की तिथि 01-1-2006 चुने जाने के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे 2800 में कार्यालय आदेश संख्या 2596-99 दिनांक 30-12-2008 द्वारा दिनांक 01-1-2006 को निम्न प्रकार वेतन निर्धारित किया गया।										
	दिनांक	वेतन	ग्रेड पे		योग						
	01-1-2006	8610	2800		11410-00						
वेतनवृद्धि	01-7-2006	8960	2800		11760-00						
-do-	1-7-2007	9320	2800		12120-00						
	मुख्यालय आदेश संख्या सी-108/पदो०अ-2/07 दिनांक 31-7-2007 के अनुक्रम में दिनांक 01-8-2007 को ज्ये०ले०प०पद पद वेतनमान 5500-175-9000 पुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे-4200 में कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप निम्न प्रकार वेतन निर्धारित किया गया :-										
	01-8-2007	9690-00	4200-00		13890-00						
	01-7-2008	10110-00	4200-00		14310-00						[signature] जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें गोरखपुर

Date of termination of appointment	Reason of termination (such as promotion transfer dismissal etc.)	Signature of the Head of the office or other Attesting officer	LEAVE A क Nature & duration of leave taken	LEAVE B ख Allocation of periods of leave on fullpay upto four months for which leave salary is debitable to another Government (a) Period	(b) Govt. to which debitable	Signature of Head of the office or other Attesting officer	Reference to any recorded punishment or censure or reward or praise of a Govt. servant
पद समाप्ति का दिनाँक	पद समाप्ति का कारण जैसे पदोन्नति स्थानान्तरण पदच्युति इत्यादि	कार्यालयाध्यक्ष या दूसरे अभिप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम	छुट्टी की किस्म व अवधि	चार महीने तक की पूर्ण वेतन पर छुट्टी की अवधि का बटवारा जिसके लिये छुट्टी का वेतन किसी दूसरी सरकार की विकलनीय हो (क) अवधि	(ख) सरकार जिसे विकलनीय हो	कार्यालयाध्यक्ष या दूसरे अभिप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर	सरकारी कर्मचारी के किसी अभि-लिखित दण्ड प्रतिनिन्दन या पारितोषिक या प्रशंसा का निर्देश
31/7/08	वेतन वृद्धि स्वीकृत	[signature] जि०ले०प०अ० गोरखपुर		स० का० आदेश सं० 3219-21 दि० 30/8/06 द्वारा दि० 28/8/06 से 9-9-06 तक (दि० 9-9-06 एवं 10-9-06) परिन्यास सहित 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत			[signature] D.A.D. [illegible]
				मुख्यालय आदेश सं० सी-108/पदो०/अ-2/2007 दिनांक 31-7-07 के अनुपालन में दि० 1-8-07 के पूर्वाह्न में ज्ये०ले०प०श्रे-2 वेतनमान 5500-175-9000 में कार्यभार ग्रहण किया।		[signature] जि०ले०प०अ० गोरखपुर	
				सम्भागीय कार्यालय गोरखपुर के आदेश सं० 4074-76 दि० 18-9-07 द्वारा दि० 17-8-07 से 31-8-07 तक 15 दिनों का अर्जित अवकाश स्वीकृत।		[signature] 19/9/07 जि०ले०प०अ० गोरखपुर	

Request-78

1	2	3	4		5		6		7	8	9
Name of appoint-ment	Whether substansive or officiating and whether permanent or temporary	If officiating here state substantive appointment if any	Pay in substantive appointment		Additional pay for officiating		Other emoluments falling under the term pay		Date of appoint-ment	Signature of Govern-ment Servant	Signature & designation of the head of the office or other Attesting officer in attestation of columns 1 to 8
पद का नाम	मौलिक या स्थानापन्न और स्थाई या अस्थाई	अगर स्थानापन्न हो तो यहाँ मौलिक पद अगर कोई हो का नाम लिखा जाय	मौलिक पद का वेतन		स्थानापन्न कार्य के लिए अतिरिक्त वेतन		वेतन का मद के अन्तर्गत दूसरी उपलब्धियाँ		नियुक्ति का दिनाँक	सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर	१ से ८ तक स्तंभों को अभिप्रमाणित करने के लिए कार्यालयाध्यक्ष या दूसरे अभिप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम
			Rs. रु०	P पै०	Rs. रु०	P. पै०	Rs. रु०	P. पै०			

10	11	12	13 LEAVE A क	13 B ख (a)	13 B ख (b)	14	15
Date of termination of appointment	Reason of termination (such as promotion transfer dismissal etc.)	Signature of the Head of the office or other Attesting officer	Nature & duration of leave taken	Allocation of periods of leave on fullpay upto four months for which leave salary is debitable to another Government — Period	Govt. to which debitable	Signature of Head of the office or other Attesting officer	Reference to any recorded punishment or censure or reward or praise of a Govt. servant
पद समाप्ति का दिनाँक	पद समाप्ति का कारण जैसे पदोन्नति स्थानान्तरण पदच्युति इत्यादि	कार्यालयाध्यक्ष या दूसरे अभिप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम	छुट्टी की किस्म व अवधि	चार महीने तक की पूर्ण वेतन पर छुट्टी की अवधि का बटवारा जिसके लिये छुट्टी का वेतन किसी दूसरी सरकार की विकलनीय हो — (क) अवधि	(ख) सरकार जिसे विकलनीय हो	कार्यालयाध्यक्ष या दूसरे अभिप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर	सरकारी कर्मचारी के किसी अभिलिखित दण्ड प्रतिनिन्दन या पारितोषिक या प्रशंसा का निर्देश
				स०-भागीय कार्यालय गोरखपुर के आदेश सं० 5245-47/दिनांक 01-10-07 द्वारा दि० 5-9-07 से 24-9-07 तक 20 दिनों का अर्जित अवकाश स्वीकृत।		(signature) वा०(मे०) सि०लै०प०अ० गोरखपुर	

Request-78 संलग्नक - 6,

पास बुक संख्या

भविष्य निधि पास बुक

नाम श्री कृष्ण चन्द्र सिंह

भविष्य निधि लेखा संख्या कोआप-यू-12809

Request - 78 6/2

महत्वपूर्ण ब्योरे

अभिदाता का नाम श्री कृष्णचन्द्र सिंह,

महालेखाधिकारी, उ.प्र. द्वारा आवंटित भविष्य निर्वाह निधि लेखा संख्या (संख्यायें)

(1) महालेखाकार
(2) उ०प्र०-इलाहाबाद
(3) Coop-U-12809

विभागीय प्राधिकारी द्वारा आवंटित भविष्य निर्वाह निधि लेखा संख्या, यदि कोई हो (आवंटित किये जाने का दिनांक कोष्ठकों में दिया जायेगा।) — ×

पास-बुक जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम तथा मुहर

(हस्ताक्षर) [signature]
(नाम) (जगनरायनयादव)
(पद नाम) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी
(मुहर) सहकारी समितियां एवं पंचायतें गोरखपुर

पास बुक जारी करने का दिनांक

अभिदाता का निजी विवरण (BIODATA)

1. नाम श्री कृष्णचन्द्र सिंह
2. पिता/पति का नाम श्री जगदम्बिका प्रसाद सिंह
3. जन्म-तिथि 20 जनवरी 1976 ई०
4. (क) स्थायी पता ग्राम व पोस्ट - बड़गो, खलीलाबाद जिला - संतकबीरनगर
   (ख) अस्थायी पता
5. उत्तर प्रदेश शासन के अधीन सेवा में प्रवेश करने का दिनांक 30-11-2004
6. भविष्य निर्वाह निधि में अभिदान प्रारम्भ होने का दिनांक 7/06
7. अभिदाता का हस्ताक्षर का नमूना (जारी करने वाले प्राधिकारी के समक्ष लिये जायेंगे) [signature] 01-06-08
8. पास बुक जारी करने वाले उस प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर जो अभिदाता के हस्ताक्षर को प्रमाणित करें।
   (हस्ताक्षर) [signature]
   (दिनांक) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी
   (मुहर) सहकारी समितियां एवं पंचायतें गोरखपुर
9. सरकारी सेवा छोड़ने का दिनांक

Request - 78 6/3

10. सेवा छोड़ने का कारण (त्याग पत्र/
सेवा से हटाया जाना/अधिवर्षिता
(Superannuation)/मत्यु आदि)

11. परिवार का विस्तृत विवरण
(पत्नी/पत्नियाँ, पति, पुत्र/पुत्रियाँ)

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म-तिथि	आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण
1	श्रीमती सुमन सिंह	पत्नी		
2	कु० वैश्वर्वी	पुत्री		(हस्ताक्षर) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें गोरखपुर
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

नियुक्तियां एवं स्थानान्तरण के ब्यौरे

अवधि		पद जिस पर काम किया	कार्यालय का नाम	प्रमाणित करने वाले आहरण एवं वितरण अधिकारी के दिनांकित हस्ताक्षर और मुहर
कब से	कब तक			
1	2	3	4	5
30/11/2004 (1)		लेखा परीक्षक ज्ये० ले० प० ग्रेड-II ([illegible]1.08.07)	कार्यालय जि० ले० प० अ० सह० सं० एवं पंचायतें गोरखपुर	(हस्ताक्षर) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें गोरखपुर
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				
(6)				

अवधि		पद जिस पर काम किया	कार्यालय का नाम	प्रमाणित करने वाले आहरण एवं वितरण अधिकारी के दिनांकित हस्ताक्षर और मुहर
कब से	कब तक			
1	2	3	4	5
(19)				
(20)				
(21)				
(22)				
(23)				
(24)				
(25)				

Request -78

6/9

दिनांक 01-08-2008 को दाखिल किये गये (प्रथम) नाम-निर्देशन के ब्योरे

क्रम संख्या	नाम निर्दिष्ट व्यक्ति (नामिनी का पूरा नाम और घर का पता वड़े अक्षरों में लिखा जाय)	अभिदाता से सम्बन्ध	आयु	नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का अंश (शेयर)	आकस्मिकतायें जिनके होने पर नाम-निर्देशन अमान्य हो जायेगा	उस व्यक्ति का पूरा नाम आयु अंश (शेयर), घर का पता और सम्बन्ध, यदि कोई हो, जिसे उस दशा में नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का अधिकार संक्रमित हो जायेगा जबकि अभिदाता से पहले उसकी मृत्यु हो जाय
1-	श्रीमती सुमन सिंह	पत्नी		सम्पूर्ण	पागलपन, मृत्यु तलाक	(1) कु० वैष्णवी सिंह, पुत्री

01 दिनांक : माह 08 सन 2008 का शुक्रवार दिन

दो साथियों के हस्ताक्षर

1. हस्ताक्षर [signature] 1-8-08
पूरा नाम संजय कुमार श्रीवास्तव
व्यवसाय नौकरी
पता जिला कार्यालय - गोरखपुर

2. हस्ताक्षर [signature]
पूरा नाम मफूज अली
व्यवसाय नौकरी
पता जिला कार्यालय गोरखपुर

(प्रतिहस्ताक्षरित) कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर और पदनाम

[signature]

जिला ... अधिकारी
सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें
गोरखपुर

[signature] sreesingh

अभिदाता का पूरा नाम श्रीकृष्णचन्द्र सिंह

श्री कृष्ण चन्द्र सिंह,

वर्ष 06-07

भुगतान का मास	वेतन, अवकाश वेतन की समबद्ध अवधि	कोषागार वाउचर संख्या और दिनांक	वाउचर की धनराशि	लेखा शीर्षक
1	2	3	4	5
अप्रैल 06				
मई 06				
जून 06				
जुलाई 06	6/06 7/06	1/1.7.06 6/28.7.06	435800- 435800-	79670- 88570-
अगस्त 06	8/06	7/29.8.06	452726-	85325-
सितम्बर 06	9/06	3/27.9.06	455713-	83925-
अक्टूबर 06	बोनस 05-06 10/06	8/18.10.06 9/30.10.06	53062- 453412-	44388- 87925-
नवंम्बर 06	11/06	9/28-11-06	451769-	81945-
दिसम्बर 06	12/06	8/28.12-06	473361-	83925-
जनवरी 07	—	—	—	—
फरवरी 07	1/07 2/07	1/1-2-07 10/28-2-07	463295- 421984-	81230- 79025-
मार्च 07	D.A 7/06 TO 11/06 D.A 1/06 TO 5/06 D.A 7/05 TO 12/06	10/31.3-07 11/31-3-07 14/31-3-07	7930- 2301- 5684-	86714- 49573- 103107-
योग -				

2425

वर्ष के दौरान सामान्य भविष्य निधि से लिये गये अग्रिमों के ब्योरे

स्वीकृत आदेश संख्या और दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अस्थायी अथवा अन्तिम प्रत्याहरण	कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक	लेखा शीर्षक	वसूली (रिकवरी) की किस्तों की संख्या	वसूली प्रारम्भ होने का दिनांक	आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8
		NIL.					जि०वि०प०अ० गोरखपुर

Regn-78

Coop-U-12809

8%

6/5

सामान्य भविष्य निधि की कटौती: अभिदान रु.	अग्रिम की वापसी रु.	योग रु.	उस सामान्य भविष्य निधि के शेड्यूल की धनराशि का योग जिसमें कटौती सम्मिलित की गई हो: अग्रिम	प्रगति योग	आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर
6	7	8	9		10
700- 700-	— —	700- 700-	—	1400-	D.A.O
700-	—	700-	—	2100-	D.A.O
700-	—	700-	—	2800-	D.A.O
1233- 700-	— —	1233- 700-	—	4733-	D.A.O
720-	—	720-	—	5453-	D.A.O
800-	—	800-	—	6253-	D.A.O
—	—	—	—	6253-	
800- 800-	— —	800- 800-	—	7853-	D.A.O
1744- 1040- 2132-	— — —	1744- 1040- 2132-	—	12769-	D.A.O
12769-	—	12769-	—	49614÷12 = 4135+	D.A.O

वार्षिक लेखा-बन्दी के ब्योरे

	रु.
प्रारम्भिक शेष	
जोड़िये	x
(1) वर्ष का अभिदान	12769-
(2) अग्रिम/अग्रिमों की वापसी	x
(3) महालेखाकार द्वारा किये गये पिछले समायोजन	x
(4) महालेखाकार द्वारा जारी की गई लेखा पर्ची के अनुसार ब्याज	331-
योग -	13100-
(5) प्रोत्साहन बोनस	x
वृहत योग	13100-
घटाइये -	
(1) वर्ष के दौरान प्रत्याहरण	x
(2) महालेखाकार द्वारा किये गये पिछले समायोजन/प्रत्याहरण	x
अन्तिम शेष	13100-00

सत्यापन

वेतन पंजी द्वारा सत्यापन किया गया।

द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

आहरण एवं वितरण अधिकारी की मुहर। जिला विकास परियोजना अधिकारी [illegible] गोरखपुर

(1) पास बुक का प्रथम निरीक्षण ______ को किया गया।

अभिदाता के हस्ताक्षर

(2) मेरे द्वारा पास बुक का द्वितीय निरीक्षण ______ को किया गया।

अभिदाता के हस्ताक्षर

616

श्री कृष्ण चन्द्र सिंह　　　　वर्ष 07-08　　　　Request-78　　　　Coop-U-12809　　　　(8%)

भुगतान का मास	वेतन, अवकाश वेतन की समबद्ध अवधि	कोषागार वाउचर संख्या और दिनांक	वाउचर की धनराशि	लेखा शीर्षक शेड्यूल की धनराशि	सामान्य भविष्य निधि की कटौती: अभिदान रु.	अग्रिम की वापसी रु.	योग रु.	उस सामान्य भविष्य निधि के शेड्यूल की धनराशि का योग जिसमें कटौती सम्मिलित की गई हो: अग्रिम	प्रगति योग	आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर
1	2	3	4	5	6	7	8			
अप्रैल 07	3/07	1/12-4-07	424612-	89675-	800-	—	800-	—	800-	D.A.O.
मई 07	4/07 5/07	1/1-5-07 8/28-5-07	424945- 421481-	90415- 94815-	800- 800-	— —	800- 800-	—	2400-	D.A.O. D.A.O.
जून 07	—	—	—	—	—	—	—	—	2400-	
जुलाई 07	6/07	1/2-7-07	434918-	96115-	800-	—	800-	—	3200-	D.A.O.
अगस्त 07	7/07 8/07	3/14-8-07 7/31-8-07	429001- 441031-	86115- 93490-	800- 1000-	— —	800- 1000-	—	5000-	D.A.O. D.A.O.
सितम्बर 07	—	—	—	—	—	—	—	—	5000-	
अक्टूबर 07	9/07 बोनस 06-07 10/07	5/5-10-07 8/16-10-07 20/30-10-07	442582- 50591- 451811-	93525- 38223- 93690-	1000- 1233- 1000-	— — —	1000- 1233- 1000-	—	8233-	D.A.O. D.A.O. D.A.O.
नवम्बर 07	—	—	—	—	—	—	—	—	8233-	
दिसम्बर 07	11/07 12/07	3/6-12-07 11/28-12-07	490039- 487947-	97190- 97290-	1000- 1000-	— —	1000- 1000-	—	10233-	D.A.O. D.A.O.
जनवरी 08	—	—	—	—	—	—	—	—	10233-	
फरवरी 08	1/08	1/1-2-08	484489-	93190-	1000-	—	1000-	—	11233-	D.A.O.
मार्च 08	2/08 D.A 7/07 TO 10/07 D.A 1/07 TO 5/07 D.A 50% 4/04 TO 3/05	10/11-3-08 19/24-3-08 26/24-3-08 28/28-3-08	460840- 2820- 8600- NIL	95190- 68324- 79160- 65434-	1000- 1912- 2140- 1475-	— — — —	1000- 1912- 2140- 1475-	—	17760-	D.A.O. D.A.O. D.A.O. D.A.O.
योग -					17760	—	17760-	—	84725 ÷ 12 = 7060+	

2425- रु०

वर्ष के दौरान सामान्य भविष्य निधि से लिये गये अग्रिमों के ब्योरे

स्वीकृत आदेश संख्या और दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अस्थायी अथवा अन्तिम प्रत्याहरण	कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक	लेखा शीर्षक	वसूली (रिकवरी) की किस्तों की संख्या	वसूली प्रारम्भ होने का दिनांक	आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8
		NIL					जि० ले० प० अधि० गोरखपुर

वार्षिक लेखा-बन्दी के ब्योरे

	रु.
प्रारम्भिक शेष	13100-
जोड़िये	
(1) वर्ष का अभिदान	17760-
(2) अग्रिम/अग्रिमों की वापसी	×
(3) महालेखाकार द्वारा किये गये पिछले समायोजन	×
(4) महालेखाकार द्वारा जारी की गई लेखा पर्ची के अनुसार ब्याज	1613-
योग -	32473-
(5) प्रोत्साहन बोनस	×
वृहत योग	32473-
घटाइये -	
(1) वर्ष के दौरान प्रत्याहरण	×
(2) महालेखाकार द्वारा किये गये पिछले समायोजन/प्रत्याहरण	×
अन्तिम शेष	32473-00

सत्यापन

वेतन पंजी द्वारा सत्यापन किया गया।

द्वारा हस्ताक्षरित

आहरण एवं वितरण अधिकारी

(1) मेरे द्वारा पास बुक का निरीक्षण को किया गया।

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, गोरखपुर

SKSingh

अभिदाता के हस्ताक्षर

(2) मेरे द्वारा पास बुक का द्वितीय निरीक्षण को किया गया।

SKSingh

अभिदाता के हस्ताक्षर

SRI KRISHNA CHANDRA SINGH. वर्ष 08-09 Request-78 Coop-U-12809 6/7

भुगतान का मास	वेतन, अवकाश वेतन की समबद्ध अवधि	कोषागार वाउचर संख्या और दिनांक	वाउचर की धनराशि	लेखा शीर्षक
1	2	3	4	5
अप्रैल	3/08	1/16-4-08	457161-	96190-
मई	4/08 5/08	3/5-5-08 8/31-5-08	457382- 479333-	96190- 96590-
जून	—	—	—	—
जुलाई	6/08 7/08	2/2-7-08 6/31-7-08	468102- 471998-	96590- 84850-
अगस्त	8/08	11/29-8-08	433817-	76350-
सितम्बर	—	—	—	—
अक्टूबर	9/08 बोनस 07-08 10/08	1/1-10-08 8/22-10-08 8/22-10-08	376958- 103620- 464186-	67850- 39721- 63350-
नवम्बर	11/08 An DA 1/08 To 4/08	6/29-11-08 A1/11-11-08	479049- 63925-	66850- 55429-
दिसम्बर	—	—	—	—
जनवरी	12/08 1/09	2/17-1-09 7/31-1-09	595424- 488093-	87100- 73150-
फरवरी	—	—	—	—
मार्च छठाँ वेतन	2/09 1/06 से 11/08 तक का 20%	8/19-3-09 5/24-3-09	522495- 202907-	78100- 276127-
योग -				

सामान्य भविष्य निधि की कटौती: अभिदान रु.	अग्रिम की वापसी रु.	योग रु.	उस सामान्य भविष्य निधि के शेड्यूल की धनराशि का योग जिसमें कटौती सम्मिलित की गई हो: अग्रिम	प्रगतियोग	आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर
6	7	8		9	
1000-	—	1000-	—	1000-	D.A.O
1000- 1000-	— —	1000- 1000-	—	3000-	D.A.O
—	—	—	—	3000-	
1000- 1000-	— —	1000- 1000-	—	5000-	D.A.O
1000-	—	1000-	—	6000-	D.A.O
—	—	—	—	6000-	
1000- 727- 1000-	— — —	1000- 727- 1000-	—	9727-	D.A.O D.A.O
1000- 1980-	— —	1000- 1980-	—	12707-	D.A.O
—	—	—	—	12707-	
2000- 2000-	— —	2000- 2000-	—	16707-	D.A.O
—	—	—	—	16707-	
2000- 18208-	— —	2000- 18208-	—	36915-	D.A.O
36915-00	—	36915-00		129470÷12=10789+32473	

= 43262×8/100 = 3461-

वर्ष के दौरान सामान्य भविष्य निधि से लिये गये अग्रिमों के ब्योरे

स्वीकृत आदेश संख्या और दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अस्थायी अथवा अन्तिम प्रत्याहरण	कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक	लेखा शीर्षक	वसूली (रिकवरी) की किस्तों की संख्या	वसूली प्रारम्भ होने का दिनांक	आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL							D.A.O

वार्षिक लेखा-बन्दी के ब्योरे

	रु.
प्रारम्भिक शेष	32473-00
जोड़िये	
(1) वर्ष का अभिदान	36915-00
(2) अग्रिम/अग्रिमों की वापसी	×
(3) महालेखाकार द्वारा किये गये पिछले समायोजन	×
(4) महालेखाकार द्वारा जारी की गई लेखा पर्ची के अनुसार ब्याज	3461-00
योग -	72849-00
(5) प्रोत्साहन बोनस	×
वृहत योग	72849-00
घटाइये	
(1) वर्ष के दौरान प्रत्याहरण	×
(2) महालेखाकार द्वारा किये गये पिछले समायोजन/प्रत्याहरण	×
अन्तिम शेष	72849-00

सत्यापन

वेतन पंजी द्वारा सत्यापन किया गया।

आहरण एवं वितरण अधिकारी की मुहर।

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें

(1) मेरे द्वारा पास बुक का प्रथम निरीक्षण को किया गया।

अभिदाता के हस्ताक्षर

(2) मेरे द्वारा पास बुक का द्वितीय निरीक्षण को किया गया।

अभिदाता के हस्ताक्षर

2435-ख०

Request-78 618

वर्ष ________

भुगतान का मास	वेतन, अवकाश वेतन की समबद्ध अवधि	कोषागार वाउचर संख्या और दिनांक	वाउचर की धनराशि	लेखा शीर्षक शेड्यूल अभिदान	अभिदान रु. (सामान्य भविष्य निधि की कटौती)	अग्रिम की वापसी रु.	योग रु.	उस सामान्य भविष्य निधि के शेड्यूल की धनराशि का योग जिसमें कटौती सम्मिलित की गई हो [illegible]	आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अप्रैल09	3/09	A-4/13/4/09	542720	84250-	2000-	—	2000-	2000-	D.A.
मई09	4/09	A-1/8/5/09	541453	84250-	2000-	—	2000-	4000-	D.A.
जून	–	–	–	–	–	–	–	4000-	जि.क.प.अ.
जुलाई	–	–	–	–	–	–	–	4000-	गोरखपुर
अगस्त	–	–	–	–	–	–	–	4000-	जि.क.प.अ.
सितम्बर	–	–	–	–	–	–	–	4000-	गोरखपुर
अक्टूबर	–	–	–	–	–	–	–	4000-	
[illegible] नवम्बर	अ-ए1/06 से 11/08	15-40/3-21/11/09	375429-	581379-	36417-	—	36417-	40417-	जि.क.प.अ. गोरखपुर
दिसम्बर									
जनवरी									
फरवरी									
मार्च									
योग -									

[illegible]

वर्ष के दौरान सामान्य भविष्य निधि से लिये गये अग्रिमों के ब्योरे

स्वीकृत आदेश संख्या और दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अस्थायी अथवा अन्तिम प्रत्याहरण	कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक	लेखा शीर्षक	वसूली (रिकवरी) की किस्तों की संख्या	वसूली प्रारम्भ होने का दिनांक	आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL							जि.क.प.अ. गोरखपुर

वार्षिक लेखा-बन्दी के ब्योरे

प्रारम्भिक शेष रु. ________

जोड़िये

(1) वर्ष का अभिदान ________

(2) अग्रिम/अग्रिमों की वापसी ________

(3) महालेखाकार द्वारा किये गये पिछले समायोजन ________

(4) महालेखाकार द्वारा जारी की गई लेखा पर्ची के अनुसार ब्याज ________

योग - ________

(5) प्रोत्साहन बोनस ________

वृहत योग ________

घटाइये -

(1) वर्ष के दौरान प्रत्याहरण ________

(2) महालेखाकार द्वारा किये गये पिछले समायोजन/प्रत्याहरण ________

अन्तिम शेष रु. ________

सत्यापन

________ द्वारा सत्यापन किया गया।

________ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

आहरण एवं वितरण अधिकारी की मुहर।

(1) मेरे द्वारा पास बुक का प्रथम निरीक्षण ________ को किया गया।

अभिदाता के हस्ताक्षर

(2) मेरे द्वारा पास बुक का द्वितीय निरीक्षण ________ को किया गया।

अभिदाता के हस्ताक्षर

Request-78

संलग्नक-7

संख्याःसा–3–1671/दस–2010–301(09)/2003 टी0सी

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

लखनऊ : दिनाँक : 16 सितम्बर, 2010

विषय :– अधिसूचना संख्या–सा–3–379/दस–2005–301(9)/2003, दिनाँक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वित्त(सामान्य)अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या–सा–3–379/दस–2005–301(9)/2003, दिनाँक 28 मार्च, 2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की भाँति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 से नये प्रवेशकों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गयी है। राज्य सरकार की सेवा में और ऊपर उल्लिखित संस्थाओं में दिनाँक 01 अप्रैल 2005 को अथवा उसके पश्चात् प्रवेश करने वाले कर्मियों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू है।

2– वित्त विभाग में इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण प्रदान किये जाने संबंधी संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं कि ऐसे कर्मचारी जो राज्य सरकार की किसी पेंशनयुक्त सेवा में दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व नियुक्त हो चुके थे तथा दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य सेवा / संवर्ग में पेंशनयुक्त पद पर नियुक्त होते हैं, तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना, जो दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व लागू थी, से आच्छादित माना जायेगा अथवा नई पेंशन योजना से।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने राज्य सरकार की अथवा ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, की पेंशनयुक्त सेवा में दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व योगदान किया था तथा दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात् राज्य सरकार की अथवा शासन के नियंत्रणाधीन उक्त उल्लिखित स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की पेंशनयुक्त सेवा में अपनी पूर्व सेवा से कार्यमुक्त होकर अथवा तकनीकी त्याग–पत्र देकर नियुक्त होते हैं, तो वे उसी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे जिस पेंशन योजना से वे दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व आच्छादित थे।

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव, वित्त।

—2/—

संख्या : सा–3–1871(1)/दस–2010–301(09)/2003 टी0सी0, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
2– प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
3– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद।
4– महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6– निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
7– निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
8– समस्त जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9– जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
10– सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
12– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय से कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी दस हजार प्रतियाँ शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

1809/62
493/03

Request-78

प्रेषक,

संख्या:सा–3–1671 / दस–2010–301(09) / 2003 टी0सी0

3302/ 55-3-10

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

(सामान्य) अनुभाग–3

लखनऊ : दिनाँक : 16 सितम्बर, 2010

विषय :– अधिसूचना संख्या–सा–3–379 / दस–2005–301(9) / 2003, दिनाँक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वित्त(सामान्य)अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या–सा–3–379 / दस–2005–301(9) / 2003, दिनाँक 28 मार्च, 2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की भाँति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 से नये प्रवेशकों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गयी है। राज्य सरकार की सेवा में और ऊपर उल्लिखित संस्थाओं में दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात् प्रवेश करने वाले कर्मियों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू है।

2– वित्त विभाग में इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण प्रदान किये जाने संबंधी संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं कि ऐसे कर्मचारी जो राज्य सरकार की किसी पेंशनयुक्त सेवा में दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व नियुक्त हो चुके थे तथा दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य सेवा / संवर्ग में पेंशनयुक्त पद पर नियुक्त होते हैं, तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना, जो दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व लागू थी, से आच्छादित माना जायेगा अथवा नई पेंशन योजना से।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने राज्य सरकार की अथवा ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, की पेंशनयुक्त सेवा में दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व योगदान किया था तथा दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात् राज्य सरकार की अथवा शासन के नियंत्रणाधीन उक्त उल्लिखित स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की पेंशनयुक्त सेवा में अपनी पूर्व सेवा से कार्यमुक्त होकर अथवा तकनीकी त्याग–पत्र देकर नियुक्त होते हैं, तो वे उसी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे जिस पेंशन योजना से वे दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व आच्छादित थे।

अनूप मिश्र
(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव, वित्त।

—2/—

20/09/2010

3210
3454

Request-78

संख्या : सा–3–1671(1)/दस–2010–301(09)/2003 टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
2– प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
3– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद।
4– महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6– निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
7– निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
8– समस्त जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9– जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
10– सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
12– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय से कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी दस हजार प्रतियाँ शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 14:06:53 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad